

### **पीएम-वेबिनार कृषि**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दीर्घकालिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। कृषि व ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष के केंद्रीय बजट में कृषि और ग्रामीण परिवर्तन को मजबूती दी गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लगभग 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है।

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के दावों का निपटान किया जा चुका है।

---

### **मुख्यमंत्री**

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला के दौरे के दौरान नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मैडिकल कॉलेज व अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी का शुभारम्भ किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी मैडिकल कॉलेजों में प्रदेश सरकार उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नेरचौक मैडिकल कॉलेज में मौजूदा सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं को मजबूती प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस मैडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई है, जो दिल्ली स्थित एम्स की तर्ज पर विकसित की गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यहां एम.आर.आई. थ्री टेस्ला और कैथलैब की सुविधा भी जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी।

---

### **राज्यपाल नियुक्ति**

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए। गौरतलब है कि शिव प्रताप शुक्ल करीब तीन वर्ष तक हिमाचल के राज्यपाल रहे।

---

### **जन स्वास्थ्य अभियान**

जन स्वास्थ्य अभियान संस्था ने हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 को लागू न किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। जन स्वास्थ्य अभियान के राष्ट्रीय संयोजक अभय शुक्ला ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकारों ने इस एक्ट को लागू न करके मरीजों के अधिकारों की उपेक्षा की है और निजी अस्पतालों को मनमानी की खुली छूट दी है।

-----